न्यायालय नायब तहसीलदार(राजस्व) बीकानेर

प्रकरण सं0 80/2016 निर्णय दिनांक 07/12/2016

सरकार बनाम नजरू खां पुत्र शाहद खां

प्रकरण का प्रकारः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा–91

यह प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि हल्का पटवारी जालवाली की रिपोर्टनुसार प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर कार्यवाही शुरू की गई ।

अप्रार्थी श्री नजरू खां पुत्र श्री शाहद खां जाति मुसलमान साकिन जालवाली ग्राम जालवाली खसरा नं 1139 जो कि रिकार्ड में 31.07 भूमि दर्ज है में से 6.00 हे0 भूमि पर नाजायज रूप से कब्जा कर लिया है ।

हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा–91 के तहत नोटिस जारी कर तलब किया गया । अप्रार्थी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुआ ।

हमने पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया, जिसके अनुसार हल्का पटवारी की रिपोर्ट एकदम स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर नाजायज रूप से कब्जा कर लिया गया है ।

अतः अप्रार्थी श्री नजरू खां को नाजायज कब्जा करने पर ग्राम जालवाली के खसरा नं 1139 रकबा 6.00 हे0 भूमि का सम्वत् 2073 का अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा लगान राशि न्यूनतम एक हेक्टेयर की कुल दर रूपये 0.55 की दर से 6.00 हे0 का 20 गुणा रूपये 66/- अक्षरे रूपये [illegible] तावान कायम किया जाता है तथा उक्त अतिक्रमी का तुरन्त 27.3 भूमि से बेदखल कर कब्जा बहक सरकार लेकर तुरन्त रिपोर्ट पेश करें तथा मॉग कायमी टी.आर.को दर्ज करवाई जावे ।

यह निर्णय आज दिनांक 07/12/2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

नायब तहसीलदार(राजस्व)
बीकानेर

Scanned by CamScanner